राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(   )ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/एएसओ/लक्ष्य/ 2016–17   जयपुर, दिनांक 23 जून, 2016

सम्भागीय आयुक्त,
अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर,
जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर राजस्थान।

विषयः– ग्रामीण आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला कलक्टर की भागीदारी के क्रम में।

भारत सरकार के निश्चय ''सभी को आश्रय–2022'' की सुनिश्चितता हेतु वर्ष 1996 से संचालित इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ की गई है। योजना का विधिवत शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा माह अगस्त में किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत पात्रता का निर्धारण SECC-2011 के डाटा के आधार पर किया जाकर प्रति लाभार्थी रू. 1.20 लाख का अनुदान देय होगा जिसके लक्ष्य देश में आगामी 3 वर्षो हेतु 1 करोड़ निर्धारित किये गये हैं।

राज्य में विगत वर्षों में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में से लगभग 3 लाख आवास पूर्ण नही हुये हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षा है कि विधिवत योजना के शुभारम्भ के समय तक पूर्व में स्वीकृत सभी आवास पूर्ण हो जावें एवं शुभारम्भ दिवस को आवास दिवस के रूप में मनाया जावे।

आवास, मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अतः आपसे आग्रह है कि आप अपने स्तर से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करें एवं सम्बंधित जिला कलक्टर को भी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु निर्देशित करावें। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर के वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रपत्र भरते समय ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति को भी आधार माना जावे।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंरावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

23/6/16

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)